



Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme Better Farming by Every Farmer

- ❖ Enabling quality private agricultural and allied extension services
- ❖ Promoting entrepreneurship and self-employment opportunities

Salient Features of the Scheme

Eligibility Criteria

- ❖ Graduates in Agriculture and Allied subjects from Universities recognized by ICAR/UGC, SAUs and of other Agencies approved by DAC&FW, MoA&FW, GoI.
- ❖ Biological Science Graduates with Post-Graduation in Agriculture & Allied subjects.
- ❖ Degree course recognized by UGC having more than 60% of the course in Agriculture and Allied subjects, after B.Sc. with Biological Sciences from recognized colleges and Universities.
- ❖ Agricultural Intermediate (i.e. plus two) with at least 55% marks.
- ❖ Graduates in Environmental Science, Botany, Zoology and Chemistry recognized by ICAR/UGC.

Age	: 18 to 60 years
Training Period	: 45 Days free residential programme.
Project Cost	: Actual total project cost
Type of Projects	: Individual or Group projects under Agriculture/Allied sectors.
Margin Money	: No margin money upto Rs. 5 lakh. 10-15% or as decided by the Banks.
Rate of Interest	: As determined by Bank (Commercial Bank/Private/RRB/Cooperative bank).
Security	: Collateral Security upto a loan amount of Rs. 5 lakh is waived. Hypothecation of assets, mortgage of lands or third party guarantee.
Repayment period	: 5-10 years – depends on the project.
Handholding	: Post-training up to one year.

Subsidy

- ❖ Total project cost upto Rs. 20 lakh (Individual) & Rs. 100 lakh (for a group of 5) is eligible for subsidy.
- ❖ An additional limit of Rs. 5 lakh for subsidy purpose is also provided for extremely successful ventures.
- ❖ Credit linked, composite and back ended subsidy with a lock in period of 3 years.
- ❖ Subsidy is linked to extension services to farmers.
- ❖ 36% for General category.
- ❖ 44% for Women, SC/ST, North Eastern & Hill States.

Project Activities: 32 Indicative Projects, any project which provides extension services to farmers.

Linkages with ATMA: Minimum 10% of resources of ATMA to be utilized on extension activities through Non-Governmental Sector, including Agripreneurs.

Refresher Training Programmes (RTPs): Conducted for established Agripreneurs with minimum of 3 years' experience for updating their knowledge in the chosen area of activity and to promote business links and Bank linkages.

National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management(NIFTEM)

Plot No. 97, HSIIDC Industrial Estate, Kundli, Sonapat, Haryana-131028, India

www.niftem.ac.in / www.agriclinics.net

email:profprpk@gmail.com, Helpline no. 0130-2281251

Online Registration can be done throughout the year

Registration Link: <https://acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx>



एग्रि क्लिनिक और एग्रि बिजिनेस केंद्र (AC&ABC) योजना प्रत्येक किसान द्वारा बेहतर खेती

- ❖ श्रेष्ठ निजी कृषि एवं संबद्ध विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना
- ❖ उद्यमिता एवं स्व-रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना

योजना की मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड

- ❖ आईसीएआर/यूजीसी, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक
- ❖ जैव विज्ञान के स्नातक जिन्होंने कृषि तथा संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर की है
- ❖ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों में 60% से अधिक
- ❖ मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालयों से जीव विज्ञान के साथ बीएससी के बाद कोई पाठ्यक्रम जिसमें 60% से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री कृषि और संबद्ध विषयों में हो
- ❖ कम से कम 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (अर्थात प्लस टू)

आयु	: 18 वर्ष से 60 वर्ष
प्रशिक्षण अवधि	: 45 दिन नि:शुल्क आवासीय कार्यक्रम। (सितम्बर - अक्टूबर, 2019)
परियोजना की लागत	: वास्तविक कुल परियोजना लागत।
परियोजनाओं के प्रकार	: कृषि / संबद्ध क्षेत्रों के तहत वैयक्तिक या सामूहिक परियोजनाएं।
मीर्जिन मनी	: रु. 5.00 लाख तक कोई मार्जिन नहीं है। 10-15% या अलग-अलग बैंकों द्वारा जैसा निर्णय लिया गया।
ब्याज की दर	: बैंक द्वारा निर्धारित रूप में (वाणिज्यिक बैंक / निजी / आरआरबी / सहकारी बैंक)
सुरक्षा	: रु. 5.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए समर्थक जमानत माफ है। परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक, भूमि का बंधक रखना या तीसरे पक्ष की गारंटी।
पुनर्भुगतान की अवधि	: 5-10 वर्ष परियोजना पर निर्भर है।
हैण्ड होल्डिंग	: प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद एक वर्ष तक।

सब्सिडी

- ❖ कुल परियोजना लागत रु.20 लाख तक (व्यक्तिगत) और रु.100 लाख तक (5 सदस्यों के एक समूह के लिए) सब्सिडी के पात्र हैं
- ❖ बेहद सफल उद्यमों के लिए सब्सिडी प्रयोजन रु.5.00 लाख तक अतिरिक्त सीमा भी प्रदान की गयी है
- ❖ 3 वर्ष की लॉक इन अवधि सहित क्रेडिट लिंकड, कम्पोजिट एवं बैंक एण्डेड सब्सिडी
- ❖ किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने के साथ सब्सिडी जुड़ा हुआ है
- ❖ सामान्य श्रेणी के लिए 36%
- ❖ महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों के लिए 44%

परियोजना की गतिविधियां: 32 संकेतित परियोजनाएं, किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने वाली कोई भी परियोजना

एटीएमए के साथ संबंध: एटीएमए के संसाधनों का न्यूनतम 10% कृषि उद्यमियों सहित गैर सरकारी क्षेत्र के माध्यम से विस्तार गतिविधियों पर खर्च किया जाना है

पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम: चुने हुए क्षेत्रों में अपने जानको अद्यतन करने और व्यापार संबंध और बैंक लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष का न्यूनतम अनुभव प्राप्त स्थापित कृषि उद्यमियों के लिए आयोजित किया गया है

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

प्लॉट संख्या 97, एचएसआईआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा-131028, भारत

ई-मेल: profrpk@gmail.com, दूरभाष: 0130-2281251

ऑनलाइन पंजीकरण पूरे वर्ष किया जा सकता है

पंजीकरण लिंक: <https://acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx>